भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट–बड़ासी, देहरादून।

संख्या 1257/मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 24 जुलाई, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दाफौटी, बी–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-I/2018/1(13)/18 दिनांक 12–10–2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता के क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत क्षेत्र हेतु सीमांकित क्षेत्रफल 17.967है0 की प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण, खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015, एवं पत्र संख्या 302/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 17 जून 2020 को जारी गाईड लाईन के दृष्टिगत राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं नव प्रस्तावित क्षेत्रों में ड्रिलिंग मशीन हेतु पहुंच मार्ग की कठिनाई के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 2138/मु0ख0/26टी0सी0/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 28.11.2020 के द्वारा राज्य के अन्तर्गत नव प्रस्तावित खनन पट्टों हेतु क्षेत्र में खनिज का सत्यापन ट्रेचिंग–पिटिंग विधि से किये जाने की छूट प्रदान किये जाने तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर– 3 (दो) (1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 469/खनन/भू0खनि0ई0/2021–22 दिनांक 28 मई 2021 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 22.07.2021 के क्रम में आर0क्यू0पी0 श्री पंकज पाण्डे, द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संकियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के **प्रथम वर्ष में 9435 टन, द्वितीय वर्ष में 11511 टन, तृतीय वर्ष में 13404 टन, चतुर्थ वर्ष में 15631 टन एवं पंचम वर्ष में 18250 टन** के उत्पादन खनिज आंकलन, खनिज भण्डारण का सत्यापन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पायां जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
4. आवेदक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-I/2018/1(13)/18 दिनांक 12–10–2018 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना होगा।
5. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनीकृत माइनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2248/VII-I/2018/1(13)/18 दिनांक 12–10–2018 आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या–4 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं0 1621/VII-1/212–ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।

9. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।

10. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।

11. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।

12. The Occupational safety Health and Working Conditions Code-2020 की अनुपालना की जानी होगी।

13. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।

14. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

15. भू-सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।

16. अनुमोदित खनन योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(बृजेश कुमार संत)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः 1257/मु0ख0/खनन/144/पिथौ0/भू0खनि0ई0/2018-19तददिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आई0टी0 पार्क देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ।
6. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ।
7. जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दाफौटी, बी-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
8. श्री पंकज पाण्डे पुत्र श्री रमेश चन्द्र पाण्डे निवासी बी-/213, श्री नाथजी बिहार सीतपुर लखनऊ।

(बृजेश कुमार संत)
निदेशक।